न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 9/2017 (उदयपुर डिक्री)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेमारी (प्रकरण प्रभारी), उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. भांकरलाल पिता कोदरजी प्रजापत, निवासी बडावली, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।
2. मृतक धुला पिता उदा ढोली के बजाय :–

2/1. गौतम मुतबन्ना (पिता) धुलाजी ढोली, निवासी बडावली, तहसील सराडा, जिला उदयपुर (नाम तर्क किया गया)

3. अमृतलाल पिता सवजी दर्जी, निवासी बडावली, तहसील सराडा, जिला उदयपुर।

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ.1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, सराडा दिनांक
22–01–2016 प्र0 सं0 27/2015

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री लोकेश मेनारिया अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
3. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रेस्पो.सं. 2

———/———

निर्णय **दिनांक 23–11–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92–ख, 188 व 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बडावली में साबिक आराजी नंबर 1061 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 1062 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा एवं 1063 व 1064 रकबा 18 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 3407 रकबा 0.1600 हैक्टर, 3408 रकबा 0.0800 हैक्टर, 3409 रकबा 0.0500 हैक्टर, 3410 रकबा 0.1300 हैक्टर एवं 4127 रकबा 0.3300 हैक्टर कुल किता 5 रकबा 0.7500 हैक्टर हैं। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते दर्ज है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 का कभी कब्जा नहीं रहा एवं [illegible] से लगभग 100 वर्शो से कब्जा वादी एवं उनके पूर्वजों का चला आ रहा है, जिससे वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार हो

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:49 IST
Reason: SelfAttested

चुके हैं, किन्तु प्रतिवादीगण दखलन्दाजी करते हैं। अतः वादी को विवादित आराजियात का खातेदार घोशित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम दर्ज कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 22–01–2016 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय न्यायालय में यह अपील दिनांक 25–01–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया प्रकरण में राज्य हित निहित होने से से उन्हें दिनांक 18–10–2016 को प्रकरण प्रभारी नियुक्त किया गया, जिसके प चात राजकीय कार्य में व्यस्त होने से अपील समय में प्रस्तुत नहीं कर सके। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

गुणावगुण पर बहस करते हुए वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि विवादित आराजियात प्रथम सेटलमेन्ट के समय से लेकर वाद दायरी दिनांक तक प्रतिवादी संख्या 2 धुला के नाम दर्ज थी। वादी अथवा उनके पूर्वजों से उक्त भूमि का कब्जा किस प्रकार प्राप्त किया, इस बाबत् कोई साक्ष्य उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रतिवादी संख्या 2 ढोली होकर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जबकि वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 प्रजापत होकर गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में कॉलम संख्या 3 में अंकित रहन सन् 1970 के बाद का होने से राजस्थान का तकारी अधिनियम की धारा 43 की उपधारा 2 के परन्तुक का उल्लंघन है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/रेस्पोन्डेन्ट को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार घोशित किया है, जबअकि नवीनतम न्यायिक नजीरों अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:49 IST
Reason: SelfAttested

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट/वादी को प्रतिकूल कब्जे

के आधार पर खातेदार घोशित किया है, जबकि नवीनतम न्यायिक नजीरों अनुसार का तकारी कानूनी में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है। वैसे भी वादी ने विवादित आराजियात का कब्जा किस प्रकार प्राप्त किया, साबित नहीं कराया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उसका 100 वर्शो से अधिक पुराना कब्जा मानकर वाद डिक्री कर दिया, जबकि 100 वर्शो से कब्जे बाबत् कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–01–2016 अपास्त की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23–11–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम. एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:49 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सेमारी नि0 (प्रकरण प्रभारी), उदयपुर बनाम **भांकरलाल पिता कोदर जी प्रजापत, बडावली, तह0 सेमारी, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**9 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सराडा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**22**.....माह.....**01**.....**2016**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**23**.....माह.....**11**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान**
व हाजरी.....**श्री कमले T चौहान**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–01–2016 अपास्त की जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**23**.....माह.....**11**.....**2021** को जारी किया गया।

(एम. एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:49 IST
Reason: SelfAttested